(16)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–01
देहरादूनःदिनांक 29 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के संरचनात्मक ढांचे विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–628/XXX–1–2017–25(60)2002, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 में संशोधन करते हुये ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान 15,600–39,100+GP 6600 (Pay Level 11) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी का 01 पद (देहरादून–01) तथा साधारण वेतनमान 15,600–39,100+GP 5400 (Pay Level 10) के अन्तर्गत डिप्टी कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर (न्यायिक) के 12 पद (नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बाजपुर, सितारगंज, कोटद्वार, देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, रूड़की एवं लक्सर), डिप्टी कलेक्टर/प्रोटोकाल अधिकारी के 05 पद (देहरादून 01, उत्तरकाशी 01, रूद्रप्रयाग 01, चमोली 01, नैनीताल 01), विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (SLAO) के 07 पद (चमोली 01, रूद्रप्रयाग 01, उत्तरकाशी 01, ऊधमसिंहनगर 01, बागेश्वर 01, चम्पावत 01, पिथौरागढ 01) तथा Additional City Magistrate के 02 पद (देहरादून 01 एवं हरिद्वार 01) अर्थात उक्त दोनों वेतनमानों में कुल 27 अतिरिक्त पदों का सृजन करते हुये निम्नानुसार पुनरीक्षित/संशोधित ढांचा निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	वेतनमान	वर्ष 2017 में सृजित ढांचा	नवीन सृजित पद	संशोधित पदों ढांचा
01	विशेष उच्चतम वेतनमान 67,000–79,000 (Pay Level 15)	02	–	02
02	उच्चतम वेतनमान 37,400–67,000+GP 10,000 (Pay Level 14)	12	–	12
03	उच्चतर वेतनमान 37,400–67,000+ GP 8,900 (Pay Level 13A)	18	–	18
04	विशेष चयन श्रेणी वेतनमान 37,400–67,000 + GP 8700 (Pay Level 13)	20	–	20
05	चयन श्रेणी वेतनमान 15,600–39,100 + GP 7600 (Pay Level 12)	25	–	25
06	ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान 15,600–39,100 + GP 6600 (Pay Level 11)	06	01	07
	साधारण वेतनमान 15,600–39,100 + GP 5400 (Pay Level 10)	90	26	116
	कुल पद	173	27	200

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या- I/110053/2023, दिनांक 27.03.2023 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. - अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. - आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि शासन स्तर से जनपदों में डिप्टी कलेक्टर की तैनाती के फलस्वरूप संबंधित जिले के जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर(न्यायिक) तथा डिप्टी कलेक्टर/प्रोटोकाल अधिकारी के मध्य न्यायिक वादों के बंटवारे सहित अन्य कार्यविभाजन अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।
5. - जिलाधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में ज्वाईंट मजिस्ट्रेट की तैनाती भी शासन स्तर से की जायेगी।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
7. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. - सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
9. - वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन।
10. - संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को अगले गजट के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. - गार्ड फाईल।

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 29-03-2023 10:41:38

(शैलेश बगौली)
सचिव

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून